

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2363
18.12.2023 को उत्तर के लिए

वन भूमि में वृद्धि

2363. श्री तेजस्वी सूर्या :
श्री के. सुधाकान्त :
श्री प्रताप सिम्हा :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2023 में देश में राज्य-वार वन क्षेत्र कितना है;
- (ख) क्या सरकार ने विगत नौ वर्षों के दौरान देश में वन भूमि में बढ़ोतरी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, प्राणी उद्यान, संरक्षित क्षेत्रों, आरक्षित वनों और अन्य वन श्रेणियों के क्षेत्र के साथ वन भूमि का राज्य-वार वितरण क्या है;
- (घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दशक में, औद्योगिक बुनियादी संरचना परियोजनाओं के विकास के लिए वन क्षेत्रों को आवंटित किया गया है;
- (ङ.) यदि हां, तो पिछले नौ वर्षों के दौरान राज्य-वार बजटीय व्यय सहित प्रतिकरात्मक वनीकरण का ब्यौरा क्या है;
- (च) देश के नष्ट हुए वन क्षेत्र को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (छ) वन क्षेत्र को मापने में त्रुटियों को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन, देश के वन वनावरण का द्विवार्षिक आकलन करता है और उसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। आईएसएफआर-2013 के अनुसार, देश में वनावरण 6,97,898 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.23% है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार, देश का वनावरण 7,13,789 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। इस प्रकार, आईएसएफआर-2013 और आईएसएफआर-2021 के बीच वनावरण में 51,891 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है। आईएसएफआर-2021 के अनुसार वनावरण का राज्य-वार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख): मंत्रालय, देश के वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), दावानल रोकथाम और प्रबंधन योजना और प्रतिपूरक वनीकरण निधि (काम्पा), नगर वन योजना जैसी योजनाओं और संबंधित मंत्रालयों की अन्य योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।।

(ग): राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्व के क्षेत्र के साथ वन भूमि के वितरण का राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-II और अनुबंध-III, अनुबंध-IV और अनुबंध-V** में दिया गया है।

(घ): औद्योगिक बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 1,68,131.52 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपवर्तन के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। पिछले दशक के दौरान अपवर्तित वन भूमि की श्रेणीवार सूची **अनुबंध-VI** में दी गई है।

(ङ): काम्पा निधि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के कारण वन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। काम्पा गतिविधियों में प्रतिपूरक वनीकरण, वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता का संवर्धन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में वृद्धि और वन्यजीव पर्यावास में सुधार शामिल है। राज्य-वार आवंटित काम्पा निधि का विवरण **अनुबंध-VII** में दिया गया है।

(च) और (छ): देश में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम), काम्पा, नगर वन योजना और संबंधित मंत्रालयों की अन्य योजनाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी उप-मिशन आदि सहित विभिन्न वनीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। देश में वन और वृक्ष आवरण के संरक्षण और संवर्धन में बहुविभागीय प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं।

'वन भूमि में वृद्धि' के संबंध में 18.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आईएसएफआर 2021 के अनुसार वनावरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | भौगोलिक क्षेत्र (जीए) | कुल वन आवरण |
|---------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,62,968 | 29,784 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 83,743 | 66,431 |
| 3 | असम | 78,438 | 28,312 |
| 4 | बिहार | 94,163 | 7,381 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1,35,192 | 55,717 |
| 6 | दिल्ली | 1,483 | 195.00 |
| 7 | गोवा | 3,702 | 2,244 |
| 8 | गुजरात | 1,96,244 | 14,926 |
| 9 | हरियाणा | 44,212 | 1,603 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 55,673 | 15,443 |
| 11 | झारखंड | 79,716 | 23,721 |
| 12 | कर्नाटक | 1,91,791 | 38,730 |
| 13 | केरल | 38,852 | 21,253 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 3,08,252 | 77,493 |
| 15 | महाराष्ट्र | 3,07,713 | 50,798 |
| 16 | मणिपुर | 22,327 | 16,598 |
| 17 | मेघालय | 22,429 | 17,046 |
| 18 | मिजोरम | 21,081 | 17,820 |
| 19 | नगालैंड | 16,579 | 12,251 |
| 20 | ओडिशा | 1,55,707 | 52,156 |
| 21 | पंजाब | 50,362 | 1,847 |
| 22 | राजस्थान | 3,42,239 | 16,655 |
| 23 | सिक्किम | 7,096 | 3,341 |
| 24 | तमिलनाडु | 1,30,060 | 26,419 |
| 25 | तेलंगाना | 1,12,077 | 21,214 |
| 26 | त्रिपुरा | 10,486 | 7,722 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 2,40,928 | 14,818 |
| 28 | उत्तराखंड | 53,483 | 24,305 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 88,752 | 16,832 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 8,249 | 6,744 |
| 31 | चंडीगढ़ | 114 | 22.88 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 602 | 227.75 |
| 33 | जम्मू एवं कश्मीर | 2,22,236 | 21,387 |
| 34 | लद्दाख | | 2,272 |
| 35 | लक्षद्वीप | 30 | 27.10 |
| 36 | पुदुचेरी | 490 | 53.30 |
| | कुल | 32,87,469 | 7,13,789 |

'वन भूमि में वृद्धि' के संबंध में 18.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय उद्यानों की सूची

| क्र.सं. | राज्य का नाम | राष्ट्रीय उद्यानों के नाम | क्षेत्रफल (किमी ² में) |
|---------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3 | 1368.874 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2290.82 |
| 3 | असम | 7 | 2664.58 |
| 4 | बिहार | 1 | 335.65 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3 | 2899.08 |
| 6 | गोवा | 1 | 107.00 |
| 7 | गुजरात | 4 | 480.12 |
| 8 | हरियाणा | 2 | 48.25 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 5 | 2256.28 |
| 10 | झारखंड | 1 | 226.33 |
| 11 | कर्नाटक | 5 | 2794.05 |
| 12 | केरल | 6 | 558.16 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 11 | 4349.134 |
| 14 | महाराष्ट्र | 6 | 1273.6 |
| 15 | मणिपुर | 2 | 140 |
| 16 | मेघालय | 2 | 267.48 |
| 17 | मिजोरम | 2 | 150 |
| 18 | नगालैंड | 1 | 202.02 |
| 19 | ओडिशा | 2 | 990.7 |
| 20 | राजस्थान | 5 | 3947.07 |
| 21 | सिक्किम | 1 | 1784.00 |
| 22 | तमिलनाडु | 5 | 827.5157 |
| 23 | तेलंगाना | 3 | 19.615 |
| 24 | त्रिपुरा | 2 | 36.71 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 1 | 490.00 |
| 26 | उत्तराखंड | 6 | 4915.02 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | 6 | 1981.4817 |
| 28 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 6 | 1216.95 |
| 29 | जम्मू एवं कश्मीर | 4 | 2432.45 |
| 30 | लद्दाख | 1 | 3350.00 |

'वन भूमि में वृद्धि' के संबंध में 18.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वन्यजीव अभयारण्यों की सूची

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या | क्षेत्र |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13 | 6771.3974 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 13 | 7614.557 |
| 3 | असम | 17 | 1728.95 |
| 4 | बिहार | 11 | 2851.68 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 11 | 3760.28 |
| 6 | गोवा | 6 | 647.96 |
| 7 | गुजरात | 23 | 16618.42 |
| 8 | हरियाणा | 7 | 118.21 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 28 | 6115.9731 |
| 10 | झारखंड | 11 | 1955.82 |
| 11 | कर्नाटक | 35 | 7923.217 |
| 12 | केरल | 18 | 2156.22 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 24 | 7046.188 |
| 14 | महाराष्ट्र | 49 | 7861.695 |
| 15 | मणिपुर | 7 | 708.143 |
| 16 | मेघालय | 4 | 94.107 |
| 17 | मिजोरम | 9 | 1359.75 |
| 18 | नगालैंड | 4 | 43.91 |
| 19 | ओडिशा | 19 | 7094.65 |
| 20 | पंजाब | 13 | 326.6 |
| 21 | राजस्थान | 25 | 5592.38 |
| 22 | सिक्किम | 7 | 399.1 |
| 23 | तमिलनाडु | 31 | 6292.07412 |
| 24 | तेलंगाना | 9 | 5672.69 |
| 25 | त्रिपुरा | 4 | 603.639 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 26 | 3601.418 |
| 27 | उत्तराखंड | 7 | 2690.12 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 16 | 1440.18433 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 97 | 395.6 |
| 30 | चंडीगढ़ | 2 | 26.009 |
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 92.1683 |
| 32 | दमन और दीव | 1 | 2.18 |
| 33 | दिल्ली | 1 | 19.605 |
| 34 | जम्मू एवं कश्मीर | 13 | 1715.28 |
| 35 | लद्दाख | 2 | 9000 |
| 36 | लक्षद्वीप | 1 | 0.01 |
| 37 | पुदुचेरी | 1 | 3.90 |

अनुबंध-IV

'वन भूमि में वृद्धि' के संबंध में 18.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

संरक्षण रिजर्वों की सूची

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | संरक्षण रिजर्व की संख्या | क्षेत्र |
|---------|------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | गुजरात | 1 | 227.00 |
| 2 | हरियाणा | 2 | 48.72 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 19.17 |
| 4 | कर्नाटक | 14 | 171.9098 |
| 5 | महाराष्ट्र | 12 | 1003.18 |
| 6 | पंजाब | 3 | 25.71 |
| 7 | राजस्थान | 18 | 1108.9915 |
| 8 | सिक्किम | 1 | 0.06 |
| 9 | तमिलनाडु | 2 | 4.8761 |
| 10 | त्रिपुरा | 1 | 12.9347 |
| 11 | उत्तराखंड | 4 | 212.45 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | 5 | 1415.91 |
| 13 | जम्मू एवं कश्मीर | 33 | 706.6325 |
| 14 | लद्दाख | 5 | 249 |

'वन भूमि में वृद्धि' के संबंध में 18.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामुदायिक रिजर्वों की सूची

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | सामुदायिक रिजर्व की संख्या | क्षेत्र |
|---------|----------------|----------------------------|-----------|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 9 | 131.595 |
| 2 | बिहार | 1 | 0.57 |
| 3 | हरियाणा | 5 | 115.8411 |
| 4 | कर्नाटक | 1 | 3.12 |
| 5 | केरल | 1 | 1.50 |
| 6 | मणिपुर | 11 | 112.596 |
| 7 | मेघालय | 74 | 141.69129 |
| 8 | नगालैंड | 114 | 851.7757 |
| 9 | पंजाब | 3 | 83.51 |

अनुबंध-VI

'वन भूमि में वृद्धि' के संबंध में 18.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01/04/2013 से 31/03/2023 तक देश में अपवर्तित वन भूमि की श्रेणीवार सूची

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

| क्र.सं. | श्रेणी | स्वीकृत क्षेत्र |
|---------|--------------------|------------------|
| 1 | एप्रोच एक्सेस | 126.68 |
| 2 | बोरहोल पूर्वक्षण | 0.00 |
| 3 | नहर | 15.80 |
| 4 | रक्षा | 18097.41 |
| 5 | औषधालय/अस्पताल | 102.55 |
| 6 | पेय जल | 1103.96 |
| 7 | अतिक्रमण | 9.63 |
| 8 | वन ग्राम रूपांतरण | 3084.00 |
| 9 | जल | 8297.90 |
| 10 | उद्योग | 387.33 |
| 11 | सिंचाई | 27851.09 |
| 12 | खुदाई | 38698.56 |
| 13 | ऑप्टिकल फाइबर केबल | 372.24 |
| 14 | अन्य | 10286.04 |
| 15 | पाइपलाइन | 405.01 |
| 16 | उत्खनन | 50.09 |
| 17 | रेलवे | 8073.53 |
| 18 | पुनर्वास | 758.69 |
| 19 | सड़क | 29806.19 |
| 20 | विद्यालय | 82.27 |
| 21 | सौर ऊर्जा | 1.10 |
| 22 | सब स्टेशन | 70.36 |
| 23 | थर्मल | 2690.79 |
| 24 | संचरण लाइन | 16788.46 |
| 25 | गांव की बिजली | 545.10 |
| 26 | पवन ऊर्जा | 426.74 |
| | कुल | 168131.52 |

'वन भूमि में वृद्धि' के संबंध में 18.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से अब तक राज्यवार आवंटित काम्पा निधि का विवरण।

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1.77 | 1.56 | 2.13 | 0.00 | 10.97 | 6.70 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 118 | 322.97 | 330.82 | 325.00 | 224.09 | 227.82 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 155.46 | 240.85 | 196.93 | 136.65 |
| 4. | असम | 48.84 | 55.89 | 88.34 | 79.12 | 162.57 | 109.69 |
| 5. | बिहार | 38.20 | 140.18 | 239.47 | 106.84 | 115.42 | 37.88 |
| 6. | चंडीगढ़ | 1.27 | 1.87 | 2.26 | 5.14 | 1.56 | 1.54 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 897.52 | 848.51 | 1347.02 | 1500.75 | 688.47 | 471.36 |
| 8. | दमन और दीव और दादर और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 19.55 | 16.15 | 33.93 | 47.15 |
| 10. | गोवा | 4.83 | 17.95 | 32.68 | 21.55 | 36.53 | 31.28 |
| 11. | गुजरात | 212.66 | 212.66 | 169.85 | 169.00 | 205.40 | 250.02 |
| 12. | हरियाणा | 195.95 | 100.97 | 203.95 | 317.59 | 270.68 | 49.43 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 127.72 | 145.82 | 158.38 | 138.10 | 190.23 | 185.14 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 113.76 | 126.74 | 184.33 | 257.16 | 312.69 | 287.53 |
| 15. | झारखंड | 399.52 | 399.29 | 376.55 | 437.60 | 764.828 | 412.13 |
| 16. | कर्नाटक | 101.41 | 113.69 | 216.70 | 321.06 | 270.98 | 311.61 |
| 17. | केरल | 7.96 | 0.00 | 15.78 | 25.13 | 17.26 | 9.06 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 272.36 | 453.50 | 500.00 | 616.88 | 899.84 | 1070.60 |
| 19. | महाराष्ट्र | 230.00 | 499.38 | 599.32 | 688.27 | 708.11 | 597.57 |
| 20. | मणिपुर | 24.85 | 30.97 | 27.79 | 25.09 | 22.59 | 20.26 |
| 21. | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 36.40 | 26.67 | 31.19 |
| 22. | मिजोरम | 9.01 | 19.23 | 32.66 | 18.08 | 16.74 | 14.60 |
| 23. | नगालैंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | ओडिशा | 0.00 | 566.34 | 773.39 | 901.03 | 1191.31 | 948.04 |
| 25. | पंजाब | 102.56 | 102.15 | 177.85 | 218.06 | 203.01 | 257.10 |
| 26. | राजस्थान | 205.67 | 256.39 | 280.70 | 286.70 | 249.19 | 288.18 |
| 27. | सिक्किम | 0.00 | 44.96 | 47.72 | 70.00 | 92.85 | 62.07 |
| 28. | तमिलनाडु | 7.71 | 0.56 | 66.62 | 0.00 | 38.22 | 42.1712 |
| 29. | तेलंगाना | 237.38 | 501.26 | 483.78 | 752.71 | 772.65 | 446.307 |
| 30. | त्रिपुरा | 16.70 | 20.84 | 21.51 | 35.24 | 52.90 | 85.77 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 150.60 | 285.68 | 442.01 | 586.90 | 344.08 | 153.92 |
| 32. | उत्तराखंड | 318.30 | 218.00 | 353.64 | 726.88 | 320.15 | 366.80 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 23.10 | 70.07 | 74.00 | 58.30 | 52.83 | 79.40 |
| 34. | लद्दाख | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.55 |
| | कुल | 3867.65 | 5557.43 | 7458.23 | 8981.58 | 8493.678 | 7057.347 |